INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL*

(Amendment of section 18 FB).

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951"

The motion was adopted.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : I introduce the Bill.

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL*.

(Amendment of section 5)

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I would like to raise objection to the introduction of the Bill on the ground that a number of Commissions of Inquiry are going on in this country and are pending. Therefore, the introduction of this Bill is infructuous. I hope, Mr. Jethmalani will understand it and not move it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

" That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952 ".

The motion was adopted.

SHRI RAM JETHMALANI : I introduce the Bill.

15.35 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new section 10B etc.)

SHRI RAM JETHMALANI : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

" That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951 ".

The motion was adopted.

SHRI RAM JETHMALANI : I introduce the Bill.

AGRICULTURAL COMMODITIES SUPPORTING PRICE BILL.*

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the fixing of remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

" That leave be granted to introduce a Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA : I introduce the Bill.

15.36 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.—*Contd.*

(Insertion of new articles 23A, 23B, 23C)

By Shri Y. P. Shastri.

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Y. P. Shastri on the 5th May, 1978, namely :—

" That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

Before I call Dr. Ramji Singh to continue his speech, there are certain amendments for circulation.

---

*Published in Gazattee of India Extra-ordinary Part II, Section 2, dated 21-7-78.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon" (1)

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by January 27, 1979." (2)

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the last day of the next session of Lok Sabha." (3)

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Ramji Singh to continue his speech.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया था और मुझे पुकार लिया गया था । मैंने अपना भाषण प्रारम्भ भी कर दिया था ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Was it the position that you were called ?

श्री हुकम देव नारायण यादव : मैंने प्रारंभ भी कर दिया था और मुझे कहा गया था कि मेरा भाषण जारी रहेगा ।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur): I did not finish.

MR. DEPUTY SPEAKER : The record shows that Dr. Ramji Singh is still on his legs.

Dr. Ramji Singh to continue.

डा० रामजी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काम के अधिकार के बारे में जो बिल शास्त्री जी ने उपस्थित किया है, वह सभी लोगों के द्वारा स्वागत योग्य है । महात्मा तिलक ने कहा था : "फ्रीडम इज आवर बर्थराइट"। आज हमें यह भी कहना चाहिए कि काम का अधिकार भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमैन राइट्स की धारा 23 में भी काम के अधिकार की बात कही गई है :

Universal Declaration of Human Rights.

"All of us have the right to work and choose a type of work we deserve. We are entitled to receive equal pay for equal work."

हमारी जनता पार्टी के घोषणापत्र में भी पृष्ठ 17 पर जहां "एक नई अर्थ-व्यवस्था की रूपरेखा" की चर्चा है, वहां यह कहा गया है : "इसीलिए जनता पार्टी रोजी-रोटी के मौलिक अधिकार पर जोर देती है"। इसके अतिरिक्त पृष्ठ 27 पर जहां "आर्थिक रूपरेखा" की चर्चा है, वहां कहा गया है : "रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोजगार की व्यवस्था"।

इसलिए अगर जनता सरकार काम के अधिकार को स्वीकार नहीं करती है, तो यह एक नैतिक अनुबन्ध, मारल कंट्रेक्ट को भंग करना है, वचन भंग करना है। यह हमारा नैतिक अधिकार तो है ही, लेकिन यह कानूनी अधिकार भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में, जहां संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों का हवाला है, स्पष्ट कहा गया है—:

"The State shall direct, in particular, its policy towards securing—

that the citizens, men and women, equally, have the right to adequate means of livelihood."

धारा 41 में भी कहा गया है—

"The State shall make effective provisions for securing the *right* to work."

तो इस प्रकार जो संविधान के निर्देशक तत्व में हमें यह काम का अधिकार दिया गया है उसे पूरा न करना संविधान के प्रति द्रोह है। पिछले समय में जब चर्चा हुई थी कि मौलिक अधिकार अधिक महत्व का है या संविधान के निर्देशक तत्व अधिक महत्व के हैं तो उस समय भी यह बात आई थी कि संविधान के निर्देशक तत्व की भी प्रधानता है।

[डा० रामजी सिंह]

इसलिए यह काम का अधिकार हमारे नैतिक अधिकार में भी है। 'केवल भारतवर्ष ही वह देश नहीं है जहां संविधान में काम के अधिकार की बात कही जा रही है बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने यहां काम का अधिकार दिया है। रूस के संविधान की धारा 118 से 121 में, यूगोस्लाविया के संविधान की धारा 159, जापान की धारा 27, रूमानिया की धारा 18, जर्मन डेमोक्रेटिक फ्रंट की धारा 24, चीन की धारा 27, आयरलैंड की धारा 42 से 45 और इसी तरह पश्चिमी जर्मनी; इज्रायल आदि में भी यह चीज है। इसलिये यदि हमारी सरकार यह कहती है कि दूसरी किसी जगह ऐसा नहीं है तो यह कहना उचित नहीं होगा। हमने देखा है कि जहां काम का अधिकार नहीं दिया जाता है या सचमुच में महंगाई का, बेकारी का भत्ता नहीं दिया जाता है वहां सरकार शिथिल बन जाती है जिस प्रकार से पिछले तीस वर्षों में यह सरकार शिथिल रही और संविधान में दिए गए निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया। या तो काम देने का अधिकार शामिल किया जावें या संविधान के मौलिक अधिकार में या फिर बेकारी भत्ता दिया जाये जैसे पश्चिमी बंगाल की प्रगतिशील सरकार ने दिया है, केरल ने दिया है और महाराष्ट्र ने भी एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम दी है। इसलिए सरकार यदि अपने वचन को निभाना चाहती है तो या तो वह काम के अधिकार को आने वाले संविधान के संशोधन में लागू करे या बेकारी भत्ता दे।

हमारा यह काम का अधिकार प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र केवल वोट देने को नहीं कहते हैं। हमारे चुनाव घोषणापत्र के पहले ही पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि रोटी और आजादी दोनों चाहिए—एक गांधीवादी विकल्प। तो क्या आजादी देने से जनता पार्टी का वायदा पूरा हो गया? इसीलिए जब तक हम इस को संविधान में शामिल नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। Man cannot live without bread. यह भी हमें सोचना चाहिए कि काम का अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक प्रजातंत्र पूरा नहीं होगा। आजादी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आर्थिक आजादी पूरी नहीं होती है। इसीलिए हमने देखा है कि जकार्ता से लेकर कैरो तक प्रजातंत्र का दिवाला इसलिए निकल चुका है क्योंकि वहां आर्थिक आजादी नहीं थी। आज देश में जो अनुशासनहीनता, अशांति, निराशा और हताशा है उसका कारण यही है कि मनुष्य और खास कर युवक वर्ग समझता है कि उसके भविष्य के सामने अंधकार की छाया है। इसलिए जब तक उन्हें काम का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक सचमुच में सम्पत्ति संग्रह करने की होड़ चलती रहेगी और लोगों के सामने बहुत तरह के झंझट चलते रहेंगे।

15.43 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the chair*]

सभापति महोदया, आप तो महिला हैं, आप जानती हैं, यह काम का अधिकार हमारा धार्मिक अधिकार भी है। 'देवी भागवत पुराण के सप्तम स्कन्ध में आता है कि महर्षि विश्वामित्र को जब भूख लगी थी तो चांडाल के यहां मांस और कुत्ते का जूठा खा कर उन्होंने अपने प्राण बचाए थे। इसलिए धर्म भी कहता है कि प्राण की रक्षा होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि प्राण का हक दें, जीवन का हक दें तो जीवन का हक भी देना होगा। तो यह हमारा कानूनी अधिकार तो है ही, धार्मिक अधिकार भी है। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए स्पष्ट कहा है—

> "The crying need of the East is not want of religion but want of bread."

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore) : Madan Chairman, I fully agree with the propositions made by Mr. Y. P. Shastri for providing employment to all citizens, free education to children and monetary assistance to the old and sick

people within the framework of the Constitution as a compulsory one, not only as a Directive Principle but as a Fundamental Right. If the St .te fails in this, the State will be failing in its duty to its citizens, and the citizen will have the right to go to court..

MR. CHAIRMAN : Mr. Dinen Bhattacharya, I have just been told that Mr. A saithambi has to leave at 4 O' Clock. You have already started. I am sorry. If you do not mind, he may speak now, andthen.. I will call you....

SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Next to him, I will speak.

MR. CHAIRMAN: Allright. Mr. Bhattacharrya, you may continue.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I have seen the Statement of Objects and Reasons given by Mr. Shastri with which, I think, the whole House......

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उस रोज हमको बुला लिया गया था, हमने भाषण शुरु किया था, वे इस बात को ओथ पर भी कहने के लिए तैयार हैं लेकिन आपके रिकार्ड में यह बात नहीं है तो फिर मेम्बर सत्य है या आपका रिकार्ड सत्य है—यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ? मेम्बर इस बात को ओथ पर कहने के लिये तैयार हैं कि हमको चेयर ने बुला लिया था, हमने शुरू किया था और तब चेयर ने एडजर्न किया था लेकिन आपके रिकार्ड में यह बात नहीं है फिर कौन सी बात सच हो सकती है ?

सभापति महोदय : रिकार्ड में जो लिखा है उसके मुताबिक उस दिन जो बंधु बोल रहे थे उनको बुलवाया गया है, डिप्टी स्पीकर ने सोच समझ कर यह किया है । अभी मैंने विपक्ष के एक भाई को बुलवाया है और उसी बीच में मुझे बताया गया कि अन्ना डी एम के के मेम्बर चार बजे जाने वाले हैं, उनको प्लेन पकड़ना है तो मैंने कोशिश की उन्हें समय देने की लेकिन अभी उनको इतना टाइम है कि वे इनके बाद बोल सकते हैं इसलिए अभी भट्टाचार्य जी अपना भाषण समाप्त करेंगे उसके बाद दूसरे बंधु बोलेंगें । आप को भी बुलाया जाएगा । (**व्यवधान**)

Mr. Bhattacharya, please continue.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: The Bill has asked for provision of these items, namely, right to employment, free education to children upto the age of 14 years and monetary assistance to the sick and disabled persons as a Fundamental Right, and if the Government fails to provide any of these items, the citizen can go to the court and take the help of the judiciary to force the Government, so that he may be provided with a job, the child may be given free education and the disabled and sick men may be given monetary benefit. I do not know what can be the objection on the part of the Government to accept the Bill as such or to assure the House that they will change the Constitution on the basis of the idea that has been given here.

If you compare the unemployment figure, the educated unemployed, with what it was in 1973, you will find that the position is like this: it was, in thousands, 3901·6 in 1973 and 5104·1 in the year 1976. So, it has almost doubled within three years. This is the only record in the live register that is maintained by the Employment Exchange at different centres. Thousands and lakhs of rural people do not have the opportunity or they do not go to the Employment Exchange to register their names. So, the unemployment figure is growing like anything.

It is stated here, and Mr. Shastri wants that this should be included in Art. 41 as a Fundamental Right: If the Government considers that it is not possible for them to provide employment to the unemployed, then some monetary assistance or some allowance should be given to these unemployment persons. In West Bengal, and perhaps in some other States like Kerala and Punjab, unemployed persons whose names have been there for the last five years will get at least Rs. 50/- per month and, in return, they will have to devote some time for social work once a week: that is the only obligation. If this is possible for the States, who do not have large resources at their disposal, why does not the Centre come forward with a proposal so that the unemployed people may think that the new Government that has come is at least trying to see that, even if they cannot provide jobs to the unemployed, they will not let them starve, and that is the reason that Government is giving them unemployment allowance. If this can be given inother countries, why cannot it be givenin our country? In socialist countries there is no unemployment problem, but in western countries and capitalist countries where this problem exists—in Englandand other countries in Europe—they are giving unemployment allowance to unemployed persons. So, this is something which is a must and for which a serious attempt must be made by the Government so that the people may think that this Government

[Shri Dinen Bhattacharya]

hich has now come and which had given n assurance to the people that they will do good to the people, will really see that atleast an attempt is made to provide jobs or if they fail, the unemployed persons will at least be assured of some amount which will be treated as unemployment benefit. So, this is my first contention.

My second point is that it is a shame on our part that, even after 30 years of independence, more than 70% of the people are illiterate. They cannot write and they cannot even sign their names. That is the situation. Assurances were several times given on the Floor of this House that effective steps will be taken so that illiteracy may be removed, but up till now, I have not found that either the previous Government or the present Janata Government have taken serious steps in this matter so that our children may not remain illiterate.

The figures that have been collected by me from the census report, 1971 indicate that the literate population was to the extent of 16 crores and odd, whereas the number of literate persons was 38 crores and odd. This is a very serious matter and there should be serious attempts on the part of the Government to remove this illiteracy. At least, the children should have the opportunity to get some education. Some people would say that we have provided for free education upto primary level all over the country. That will not do. We know, in the rural areas, a person will not allow his son to go to the school, he would like him to work in the field or do some other work as his helping hand, or in the urban areas, he would like him to work in a tea shop as a 'boy' and earn something for the family. You will, thus, find, that economic development and literacy go side by side. If you do not take steps to improve the economic situation, the provision of free education upto the primary stage will not help. It would only be a lip service. I would, therefore, insist and urge upon the Government that they must take some effective steps in this matter.

Lastly, I would like to mention about the disabled persons who have nobody to depend upon. I have seen so many persons who remain on the charity of their neighbours or they have to beg. Why should you allow our people to beg? I have travelled in some of the socialist countries and have not seen even a single beggar there. Why this difference? It is only because of the socio-economic differences between our country and those countries. I would say that the Government at the Centre must come forward to help such disabled persons. Such disabled persons who are old, cannot work and have nobody to support them must be helped with some money with which they can pass their last days in peace. This is my plea with the Minister who is concerned with this matter.

In the end, I fully support the Bill and I think, there is no bar in providing these items in Article 41 of the Constitution as a fundamental right so that the people will know that our Constitution is perfect. Not only lip service is given, not only pious wishes are expressed, not only assurances are given, but effective steps have been taken to see that it is a constitutional right of the citizens of India to get all these benefits. With these words, I extend my full support to this Bill.

*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Madam Chairman, I am very happy to participate in the discussion on the Constitution Amendment Bill of Shri Y. P. Shastri, and without fear of any contradiction I am sure that I can comment the effort of Shri Shastri in bringing forth this legislative proposal of national importance.

Shri Shastri has suggested three amendments to Articles 23 and 24 of the Constitution, which the House should unhesitatingly approve of. He wants that Right to Work should become a fundamental right. It should become justiciable. During the past three decades, as a free nation, we have not been able to solve the problem of unemployment. The scourge of unemployment has spread throughout the length and breadth of the country. The elected representatives of the people, the moment they come to power, assure the people that they would solve the problem of unemployment in the country within a specified period. The former Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, proclaimed from the house-top that she would eradicate proverty and eliminate unemployment from the country but even with Emergency powers she could not meet with success in her efforts. Our present Prime Minister, Shri Morarji Desai, has assured the nation that within ten years he would provide full employment in the country. The number of unemployed on the live registers of Employment Exchanges is about one crore of people. You will agree with me that many lakhs of people do not have facilities to register

*The original speech was delivered in Tamil.

themselves with the Employment Exchanges and their number may run into a few crores. Nothing is more shameful for a free country that her citizens should remain unemployed for years.

16·00 hrs.

As my hon. friend, Shri Bhattacharya, pointed out, that the Government at the Centre, is callous towards this problem in the absence of Right to Work being a basic right. If Right to Work becomes basic and fundamental right, then the Government would be compelled to gear all its programmes for fulfilling this basic right to the people. I plead with the hon. Minister of Law that he should unreservedly accept this plea and make the Right to Work a fundamental right as is there in many socialist countries of the world.

The hon. Prime Minister says that he will provide job opportunities to all in the course of ten years. Till then, how are these people to live? Should they starve? Should they take to beggary? Should they start stealing? The State Governments of Kerala, Punjab, Bengal and Maharashtra are implementing schemes of unemployment allowance. The Central Government should not only encourage their endeavours but also Supplement their efforts in this matter. The Central Government should financially assist the States for implementing such schemes of unemployment allowance.

Shri Shastri has also recommended pension to the disabled people above 60 years. As early as 1967, the D.M.K. Government in Tamil Nadu implemented a similar scheme. Even now it is working very well. The Central Government should formulate such a scheme, on the lines of Tamil Nadu Scheme, for implementation throughout the country. The other State Government can exert their efforts in this direction by emulating the Tamil Nadu scheme.

Shri Shastri wants free education to children upto 14 years. We have constitutional sanction for free and compulsory primary education. In many States, even today this laudable objective has not yet been achieved. In Tamil Nadu, Shri Kamraj, the then Chief Minister of Tamil Nadu, made education free upto secondary school leaving certificate level. In 1967, the D.M.K. Government in Tamil Nadu made it free upto Pre-University Stage. If the D.M.K. Government had not been dismissed in January, 1976, it would have made education free upto Graduate level. Unless the people of the Country become educated, democracy cannot take deep roots in the country. This should be done throughout the country.

If monetary assistance is given to the unemployed and also to the disabled, the financial Commitment comes to the order of Rs. 400 crores and Rs. 150 crores respectively. The Government of India can say where will the moeny come from. Only recently the Government of India raised two market loans—Rs. 400 crores and Rs. 250 crores and these two loans were subscribed in full within a day. Such market loans for this specific purpose can be floated by the Central Government. I do not say that the unemployment allowance should be free. It can be given as loan and later recovered after the people get jobs. To give an example the Community Association to which Shri Kamaraj belonged assists financially the young aspirants of the community who want to continue with higher studies. After completing their education and getting jobs, this loan is recovered from them in easy instalments. If a small Community Association can render such assistance, is it impossible for the Government to extend this help to the unemployed? The Central Government can recover this money after they get jobs and it can be deducted at source by the employers, like the Employees' Provident Fund, E.S.I. Fund etc.

Our Prime Minister sends letters to the Chief Ministers for implementing vigorously the Family Planning programmes. The Central Government send many directives to the States. But I do not remember a single occasion in which the Prime Minister has requestd the State Government as to what they want for creating more job opportunities, not only at the State leave but also at the Central level, at all-India level.

The D.M.K. Government of Tamil Nadu implemented effectively the Beggar Rehabilitation Programme. It will be worthwhile for the Central Government to draw up such a scheme for implementing it throughout the country. 50 % of the unemployment problem can be solved if the beggars are rehabilitated. In each District there must be a Centre of activities for the beggars so that they can become useful to the society, they can become productive units, instead of sponging on the society.

In conclusion, I would plead with the Government that the legislative proposal of Shri Y. P. Shastri for amending the Constitution to incorporate Right to Work as a Fundamental Right, to render financial assistance to the unemployed and to the disabled of above 60 years and

[Shri A. V. P. Asaithambi]

to make education free and compulsory to children upto the age of 14, should be accepted without any hesitation.

Thanking you for giving me an opportunity to say a few words on this important Bill, I conclude my speech.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी मानीय यमुना प्रसाद शास्त्री का विधेयक आया हुआ है और सरकार की ओर से जो जवाब दिया जाएगा वह हम लोग पहले से जानते हैं। यह बतायेंगे कि निधि का अभाव है, ऐसा नहीं है अभी हम नहीं कर सकते। तो सरकार की तरफ से जो मजबूरी बतायी जायेगी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मजबूरी को तो चुनाव घोषणा-पत्र बनाते समय ही जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। वायदा करके वायदा खिलाफी करना इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं है। आपने वायदा किया था अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और उसमें आपने यह स्पष्ट लिखा है पृष्ठ 16 पर कि: "मौलिक अधिकारों की सूची में से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को रद्द करेगी और उसके स्थान पर रोजी रोटी के अधिकार का समावेश करेगी। आपने साफ साफ कहा जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा किया जाएगा और फिर आपने जो आगे काम के बारे में लिखा है उसमें आपने स्पष्ट उपबंध किया है कि काम के अधिकार को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो जब ऐसा चुनाव घोषणा-पत्र में लिख दिया और संयोग से शास्त्री जी इस विधेयक को लाये हैं हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। आये तो सरकार का काम जब शास्त्री जी ने कर दिया है अतः आपको इसको मान लेना चाहिये। सो काम-रोजगार दफ्तर में जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उसके अलावा जो गांव में अनपढ़, कम-पढ़े और अध-पढ़ लोग हैं, उन लोगों का रोजगार दफ्तर से कोई मतलब नहीं, वह वहां जाते ही नहीं। इस हिसाब से करीब करीब 12 करोड़ आदमी इस देश में बेकार हैं, चाहे वह पूर्ण बेकार हों या अर्द्ध बेकार हों, लेकिन बेकार हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को रोजगार के अधिकार को सम्मिलित करना चाहिए और वायदे को पूरा करना चाहिए।

बेरोजगारी और भुखमरी के पेट से ही देश में अपराध, अराजकता, आतंक अनुशासनहीनता, चरित्रहीनता आदि चीजें निकलती हैं। जहां लोग भूख से मरते रहेंगे, वहां काम नहीं चल सकता है। किसी बड़े राजनिति शास्त्र के पंडित ने कहा है कि भुखमरी और लोकतंत्र एक साथ जिन्दा रह ही नहीं सकते। जहां लोगों में भुखमरी हो वहां लोकतंत्र की और नैतिकता की बात करना बुभुक्षिता किं न करोति पापम्—अर्थात भूखा इन्सान कौनसा पाप नही कर सकता, यह शास्त्र प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में आपको इसे निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए।

आप कहेंगे कि हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा जुटाना चाहें तो वह भी सरकार संकल्प से एक मिनट में जुटा लेगी, कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है। सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहे तो कर सकती है, लेकिन संकल्प का सवाल है।

दुख होता है, जब कभी भी बेरोजगारी भत्ते की मांग की गई तो एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यह तो भीख देने के बराबर है। मैं कहता हूं कि जब यह भीख देने के बराबर है तो चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदा किया गया था, उसके लिये जनता पार्टी को साफ कहना चाहिए कि उस समय हमको वोट लेना था इसलिए वायदा कर दिया अब वोट का काम खत्म हो गया तो—

फूट गई खपड़ी, छलाम भई चूल्हो। भाई जनता से कोई मतलब नहीं, यह सीधे कह देना चाहिए, नहीं तो वायदे के खिलाफ

एक स्टेटमैंट देना भी सबसे बड़ा गैरकानूनी काम है।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा जो तुरन्त आयेगा आप आमदनी और खर्च पर सीमा बांध दें। इससे करीब-करीब देश में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये सालाना बचत होगी। आमदनी और खर्च पर प्रतिबन्ध लगाने से, इसकी सीमा बांधने से, जो 2 हजार करोड़ की बचत होगी उससे बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हो सकता है।

सरकारी सेवा में जो 58 और 60 वर्ष की उम्र तक सेवा अवधि है उसको कम कर के 20 वर्ष कर दिया जाये। 20 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहने के बाद पैंशन दे देगें तब कहीं रोजगार का काम खाली होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुट्ठी भर आदमी बरसों तक सरकारी पैसे पर आराम करते रहें और बाल-बच्चों का रोजगार चलाते रहें और देश के करोड़ों आदमी फटे हाल रहें। जब ऐसा करेंगे तभी नौजवानों को रोजी मिल सकती है।

नौकरी में आने की उम्र जो 25, और 26 बरस रखी है, उसको बढ़ाकर 3 बरस करना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति होने के लिये 35 बरस सीमा रखी जाये, और नौकरी पाने के लिए 25 बरस रखते हैं। दोनों के लिए एक ही देश में दो कानून नहीं चलने चाहिए।

भंगी पूत राजा सन्तान, शिक्षा पावें एक समान हम लोग यह नारा लगाते रहे हैं। तो चाहे राष्ट्रपति हो या देश का भिखमंगा, दोनों के लिए देश में एक कानून होना चाहिए।

मैं यह भी चाहूंगा कि सेवा-मुक्ति के बाद जो पेंशन पाते, तो उसे किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में नियुक्त न किया जाये। सरकारी सेवा से पैंशन पाने के बाद 10, 5 हजार आदमी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कम्पनी में या सरकारी कमीशन वगैरा में जगह पा लेते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान देश में भटकता फिरता रहता है। बूढ़ा-दर-बूढ़ा जो होता है उसको पैंशन देकर भी कहीं न कहीं काम मिल जाता है। होना यह चाहिये कि जो सरकारी नौकरी से हटे उसको सरकारी या गैर-सरकारी किसी संस्थान में काम न मिले।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पैसा जुटाया जा सकता है। फिजूल खर्ची को रोककर। संसद् से ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये कि जो सांसद्, विधायक, मन्त्री और सरकारी अधिकारियों के वेतन-भत्तों में और सुविधाओं में खर्च होता है उसे कम किया जाये। इस देश के सांसदों को कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि उनको वोट देने वाला इस देश में प्रतिदिन 20 पैसे पर गुजारा करे और हम लोगों को 150 रुपया प्रतिदिन मिलता रहे। यह भी सबसे बड़ा अपराध है। इसलिये जनता के जो वोट देने वाले मालिक हैं और जनता के नौकरों में एक रिश्ता कायम होना चाहिये। मैं यही कहूंगा कि फिजूलखर्ची रोकने के लिये संसद-सदस्यों, विधायकों, मन्त्रियों और सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्तों और सुविधाओं में कटौती करिये।

इसलिए यह आवश्यक है कि पैसा बचा कर देश के करोडों नौजवानों को रोजगार दिया जाये, वर्ना देश में अराजकता और आतंक की स्थिति को कोई रोक नहीं सकता है— हमारे लाख कानून बनाने से भी वह रुकने वाली नहीं है।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) सभापति महोदय, मैं श्री यमुना प्रसाद शास्त्री

[श्री बी० पी० मण्डल]

को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत आवश्यक विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जिस देश में दो-तिहाई से भी अधिक लोग बेरोजगार हों, उस देश में सरकार का कोई अर्थ या मतलब नहीं रह जाता है। आखिर लोग सरकार क्यों बनाते हैं? इस लिए कि उन्हें रोजी-रोटी मिले। सोशलिस्ट पार्टी, जो अब जनता पार्टी में मर्ज हो गई है, कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में बराबर यह नारा लगाती थी कि रोजी-रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो"। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट में आने के बाद हम खुद उस की तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, उस के बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं, और उस पर अमल करने के लिए हमारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठ रहा है।

प्रधान मन्त्री जी का कहना है कि दस बरस में लोगों को रोजगार मिल जायेगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह इन्दिरा गांधी बराबर कहा करती थीं कि मुझे दस बरस का मौका दे दो, तो मैं देश की गरीबी को दूर कर दूंगी, और दस बरस का मौका लोगों ने उन्हें दिया, मगर उन्होंने गरीबी को दूर नहीं किया, तो उन्हीं को लोगों ने दूर कर दिया।

माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, इस कांस्टीट्यूशन बिल के द्वारा कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में दी गई रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की बात को फन्डामेंटल राइटस में इनक्लूड कराना चाहते हैं। अगर हम इस विषय में वास्तव में सिनसियर हैं, तो यह करना सर्वथा जरूरी है। अगर यह व्यवस्था फन्डामेंटल राइट्स में इनक्लूड हो जाती है, तो नागरिक को अधिकार होगा कि अगर सरकार उसे काम न दिलाये, तो वह कोर्ट में जा कर न्याय मांग सकता है।

इस बारे में फंड्स की बात नहीं आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि भले ही सरकार दिवालिया हो जाये, भले ही हमारी सब चीजें बिक जायें, लेकिन हमारा पहला काम होना चाहिए लोगों को रोजगार और रोजी-रोटी देना। इस के बगैर गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया है।

मैं विधि मन्त्री से कहूंगा कि वह इस बारे में सोच-समझ कर जवाब दें। वह ऐसा न कह दें कि इस बिल को वापस ले लिया जाये, वगैरह। जब सारे उत्तर भारत में जनता ने एक एक सीट हमें दी है—और दक्षिण में भी बहुत कुछ—, तो उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? न तो हम लोगों की रोजी-रोटी का इन्तजाम कर सके, न कपड़े का और न शिक्षा का इन्तजाम कर सके। इस लिए मैं कहूंगा कि काम के अधिकार को फन्डामेंटल राइटस में इनक्लूड करना और उसे जस्टिशिएबल बनाना बहुत जरूरी है। जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वह अविलम्ब, बिना हीले-हवाले और बहानेबाजी के, इस को मान ले।

उसी तरह शास्त्री जी ने शिक्षा को कम्पलसरी करने की बात कही है। वैसे तो शिक्षा कितने ही राज्यों में दसवीं कक्षा तक फ्री कर दी गई है, हमारे बिहार में मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा फ्री कर दी गई है। लेकिन फ्री करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इस को कम्पलसरी नहीं किया जायगा। हमारे संविधान में था कि दस वर्ष के अन्दर हम इस देश में शिक्षा को कम्पलसरी और फ्री करेंगे। तीस वर्ष गुजर गए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं और शायद अपने यहां लिटरेट आदमी कुल 33 परसेंट अभी हैं। शर्म की बात है। मैं विदेशों में जाता हूं, देखता हूं कि सैंटपरसेंट आदमी वहां पढ़े लिखे हैं और हमारे यहां ऐसी स्थिति है। तो जब तक हम फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन नहीं

करेंगे तब तक इस देश में हम शिक्षा की समस्या कभी हल नहीं कर सकते हैं। जब जनता अन्धकार में रहेगी, अपने अधिकार को नहीं जानेगी तो जनतन्त्र भी एक मखौल रहेगा। जहां तक जनतन्त्र की सफलता की बात है उस के लिए भी जरूरी है कि रोजी-रोटी लोगों को मिलनी चाहिए। मैं ने एक जगह पढ़ा था, बर्ट्रेन्ड रसेल ने फिलासाफिकल वे में कहा था कि एक भूखे आदमी की मेज पर एक तरफ एक प्लेट में खाना रख दो और एक तरह बैलट बाक्स रख दो तो नेचुरली जब वह दो तीन दिन का भूखा रहेगा तो बैलट बाक्स की तरफ देखेगा भी नहीं और पहले खाना शुरू करेगा। उधर जायेगा ही नहीं, भूख उस को परेशान करेगी, खाना शुरू करेगा, यह नेचुरल है। इसलिए अगर जनतन्त्र को हम बरकरार रखना चाहते हैं अपने देश में तो जरूरी है कि हम इस को अनिवार्य करें और इस को फन्डामेंटल राइट्स में इनक्लुड करें। इस विधेयक को लाने के लिए मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अपने यहां बहुत सारे काम हमें करने हैं। हम बर्थ कण्ट्रोल की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन उस में भी सफलता नहीं मिल रही है। हमारे यहां बहुत सारी जमीन जिस पर कि कृषि होनी चाहिए ऐसी पड़ी है जिस पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, कोई नहर नहीं है, पानी नहीं है। बहुत ज्यादा जमीन बंजर पड़ी है जिस को हम मेहनत कर के खेती के लायक बना सकते हैं। इस तरह जो हमारे बैठे हुए लोग हैं उन को हम काम देंगे और उन से काम लेंगे तो देश की भी तरक्की होगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा।

इण्डस्ट्री के बारे में भी देखते हैं कि अपने यहां इण्डस्ट्री बहुत कम है। मैं बिहार को जानता हूं, बिहार में सब से ज्यादा मिनरल्स के डिपाजिट्स हैं लेकिन बिहार सब से गरीब राज्य है। सहरसा जिला जहां से मैं आता हूं वहां एक भी इण्डस्ट्री नहीं है जब कि जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल के बाद पूर्णिया और सहरसा की पोजीशन आती है। लेकिन एक भी जूट की मिल वहां नहीं है। इस किस्म के रोजगार देने के बहुत से साधन हमारे यहां हैं, बहुत सी एरियाज हैं जिस के अन्दर इण्डस्ट्री लगा कर रोजगार दे सकते हैं। खेती में बहुत से लोगों को लगा कर उन्हें रोजगार दे सकते हैं। गवर्नमेंट के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ काम हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ लिप सिम्पैथी इन्दिरा जी की तरह करते रहेंगे, लोगों को लेमन जूस खिलाते रहेंगे, मीठी मीठी बातें करते रहेंगे तो देश के साथ जुल्म करेंगे। मैं दुख के साथ कहता हूं कि जितना समय हमारी सरकार का अभी तक बीत गया, उस में अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा कम करते और जनता के कार्य को आगे बढ़ाने में ध्यान रखते तो बहुत कुछ कर सकते थे। दस वर्ष में अनएम्पलायमेंट दूर करने का हमारा टार्गेट है जिसमें एक साल, तीन महीने बीत चुके हैं। हमें हार्टसर्चिंग करनी चाहिए कि हमने एक बटा दस अनएम्पलायमेंट दूर किया है या नहीं। हमने नहीं किया है। मैं कहता हूं उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। अभी तक हमारा ध्यान शहरों के विकास की ओर ही है। महात्मा गांधी का कहना था कि असल भारत गांवों में रहता है। सैंकड़े में 80 आदमी गांवों में ही रहते हैं। आज ही मैंने मेट्रोपोलिटन रेलवे बिल देखा, अरबों रुपए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में खर्च किये जायेंगे लेकिन गांवों में जहां पर एक पक्की सड़क की भी सुविधा नहीं है उधर देखना भी नहीं है। तो यह जो हमारा दृष्टिकोण है वह वाजिब नहीं है, इमानदारी का दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन इसी दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है, हम दिल्ली में कनाट प्लेस को सजाते हैं, बम्बई में चौपाटी को सजाते हैं परन्तु गांवों की ओर देखते भी

[श्री बी० पी० मण्डल]

नहीं हैं। इसलिए एम्पलायमेंट को जस्टिसिएबल बनाने और फन्डामेंटल राइट में उसको इनक्लूड करने के सम्बन्ध में शास्त्री जी का जो विधेयक है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में वे कुछ सोचें, जल्दबाजी में इसको रेड लाइट न दिखावें बल्कि इसको ग्रीन सिगनल दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : सभापति महोदय, माननीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने जो संविधान (संशोधन) विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इतने संविधान (संशोधन) विधेयक अभी तक पास हुए हैं लेकिन जब राइट टु वर्क का प्रश्न आता है तब पता नहीं क्यों हम इतना डर जाते हैं जिसके कारण आज तक इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया। यह बात सत्य हैं कि हमारे देश में जो बेकार हैं उनकी संख्या 6–7 करोड़ होगी परन्तु साथ ही इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको साल में 4–6 महीने रोजगार मिलता है और बाकी समय बेकार रहते हैं, अगर इनको भी जोड़ लिया जाए तो बेकार लोगों की संख्या 10–12 करोड़ हो जाती है। इन बेकार लोगों से काम लेने और काम के बदले दाम देने की गारंटी की जब बात आती है तो हर सरकार इससे मुकर जाती है-- पहले की सरकारें भी और आज भी सरकार भी क्या रुख अपनाती है उसको देखना है। शास्त्री जी जो बिल लाए हैं उस पर अगर गम्भीरता से सोचा जाए तो वास्तव में जो इसके नतीजे निकलेंगे वह बहुत अच्छे होंगे, उससे देश में समृद्धि आएगी। इसके अलावा अगर आप प्रत्येक व्यक्ति को काम की गारण्टी नहीं देते हैं तो, फिर देश में कभी भी शांति नहीं रह सकती है। आज तक इतनी प्लानिंग हुई, कभी बाढ़ पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कभी बिमारी आ जाती है तो करोड़ों खर्च किए जाते हैं, कभी एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो जाती है तो उस पर भी खर्चा किया जाता है और उसके लिए रुपया आ जाता है। यहां तक कि चुनावों का टाइम आता है तो उस समय भी रुपया आ जाता है लेकिन जहां तक रोजगार की व्यवस्था करने की बात है जबकि रोजगार की व्यवस्था करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा, वहां पर धन की कमी बताकर इसको टाल दिया जाता है। यह बात सत्य है कि चाहे आर्थिक या राजनीतिक, कोई भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, समाज में छोटे बड़े का जो एक सामाजिक अभिशाप है उसका मुख्य कारण अर्थ ही है। आज जब हमारे पास करने के लिए काम ही न हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तब डकैती, चोरी, लूट पाट छोड़कर उनके लिए और क्या काम हो सकता है और इस तरह की बहुत सी घटनायें घटती हैं जो कि बड़ी दर्दनाक होती हैं। इसलिए आज इस तरह के क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इनके पीछे बेकारी ही मुख्य कारण है। ऐसे अपराधों की संख्या बहुत कम है जबकि दूसरी वजह से लोग ये कुकर्म करते हों। अधिकतर लोग विवश हो कर इस तरह के कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पिछले समय को भी अगर हम लें तो 1971 में जो चुनाव लड़ा गया था या जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव लड़ा है, उसमें नारा यही था कि हम गरीबी और बेकारी को दूर करेंगे। मूल्यों में समानता की बात, मूल्यों में स्थिरता की बात भी उठाई जाती रही है। जब हम बेकारी और गरीबी को दूर करने का नारा देते हैं, तो सारा देश एक तरह की आशा बांध कर हमारी तरफ देखता है और जब हम यहां पर आ जाते हैं तो फिर अपनी मजबूरी बताते हैं। इसलिए यह जो बिल आया है कि सबके लिए रोजी की व्यवस्था की जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसको हमें बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस विधेयक में जो यह दूसरी बात है कि अगर उनको नौकरी न दी जाए, तो बेकारी भत्ते की व्यवस्था की जाए, यह इस उद्देश्य से रखा गया है कि सरकार जागरूक रहे और ऐसी व्यवस्था करे कि बेकारी भत्ता देने की जरूरत न हो।

तीसरी बात इसमें जो है वह अनिवार्य शिक्षा की है। अनिवार्य शिक्षा की जहां तक बात है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, वह बहुत दूषित है। जब एक व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो जाती है तब भी वह बेरोजगार ही रहता है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। अशिक्षित लोगों की इतनी बड़ी समस्या नहीं रहती है जितनी कि शिक्षित लोगों की रहती है, जब वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर आते हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है, उस तरह की शिक्षा आप दें जिससे शिक्षित लोग अपने पैरों पर खड़े हो कर रोजगार पा सकें या अपना काम कर सकें। शिक्षा के अनुदानों पर बहस के समय मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था और वह यह था कि 11 वर्ष या 12 वर्ष तक जो कि मैट्रिकुलेशन स्टेन्डर्ड की पढ़ाई है, उसमें साधारणतया भाषा के ज्ञान की शिक्षा आप दें लेकिन बाद में जिस तरह की हमारे देश की जरूरत है हम पालीटैक्नीकल की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दें या टैक्नीकल चीजों की ट्रेनिंग उनको दें। जब वे 18 वर्ष के हो जायें और शिक्षा प्राप्त कर लें, तो वे ऐसी स्थिति में आ जायें कि अपना रोजगार अपने आप खड़ा कर सकें और उससे अपने घरबार का पालन पोषण कर सकें। इस तरह की शिक्षा की प्रणाली की आज हमें जरूरत है। यह नहीं कि हमने भी शिक्षा कर दी और उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी शिक्षा से कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जो साधनहीन हैं जिनके गार्जियन्स नहीं हैं उसके लिए खाने, कपड़े और दवा आदि की व्यवस्था हो और 14 वर्ष तक उनको यह मिलना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक भी रहे और साथ-साथ उनको शिक्षा भी मिल सके। यह जो विधेयक लाया गया है उसको सरकार को मान लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर उसे सार्थक बनाना चाहिए।

चौथी बात जो इस विधेयक में है वह यह है कि जो बेकार हो गये हैं यानी जो इनवैलिड हो गये हैं चाहे वे बीमारी के कारण हों या किसी और कारण से हों, उन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए पेंशन के रूप में। कुछ राज्यों ने तो इस को शुरू भी किया है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अगर हम देश में प्रगति करना चाहते हैं और समृद्धि लाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। अगर हमारे देश में लोगों के पास काम नहीं होगा, तो हमेशा इसी तरह की खुराफात चलती रहेंगी। हमारे कुछ सदस्यों ने धारा 39 और धारा 41 के बारे में भी अपने विचार सदन के सामने रखे लेकिन मैं बड़े जोरदार शब्दों में सब सदस्यों से अपील करता हूं कि यह जो विधेयक आया है कि सब के लिए काम की व्यवस्था की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए, इस विधेयक को किसी भी हालत में वापस नहीं होना चाहिए और अगर इस को वापस करने के लिए कहा जाता है तो उसका मुकाबला करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सहर्ष समर्थन करता हूं और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस को गंभीर रूप में देख कर इस का समर्थन करें। बहुत से राज्यों ने इस बात को मान लिया है। अगर कुछ राज्यों ने ऐसा किया है तो केन्द्रीय सरकार भी इस की जिम्मेदारी अपने ऊपर

[श्री रामदास सिंह]

से और इस को पास होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं फिर शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Madam, Chairman, I want to start by congratulating very warmly our distinguish colleague, Shri Shastriji for having taken some initiative in bringing forward this very useful Bill for promoting public opinion on these valuable matters.

We know Shastriji as one of the most seasoned socialists and sincere workers and leaders of our country, particularly of Madhyapradesh and himself being disabled unfortunately for some time he has never dodged his responsibilities and we are grateful to him for having brought forward this Bill.

Now you will see that he has rightly said—I will quote only two sentences from the statement of objects and reasons—"enough of lip sympathy has been showered", I think we must go now beyond that stage of lip sympathy and we must give something in the shape of concrete proposals so that the Government and the Parliament can tell the down-trodden people, the afflicted people that we mean business with them.

He has also said in his statement—I like that statement of his—I quote—"Employment has become eve yone's birthright in swaraj." I am talking today on 22nd July and a few days later, on 1st August, we will remember Lokamanya Tilak . He said : "Swaraj is my birtth right, I will have it." That Swaraj has come, and how shall we now elaborate the great Lokamanya Tilak's definition Today, Shastriji has given us a good definition, that is, "Employment has become everyone's birthright in Swaraj". So far so good. I also understand his anxiety to convert Articles 41 and 45 into justiciable and fundamental rights.

But having said that, may I say a word or two by way of caution ? It is right to say that certain things are good, laudable and noble, and we must go ahead in those irections. But the question is, how for the State can do it. It is no use, as Mandalji said just now "let us all become insolvent and poor, but go on distributing allowance!" What is the point in distributing allowances or doles and then becoming insolvent ? We do not want to become insolvent for merely having the pleasure of giving allowances or doles to all. That kind of extermist point of view or too much of an enthusiastic point of view will not lead us anywhere as responsible and sincere people trying to do something in this country. We all know—the Law Minister knows more than I do—that these directive principles have become pious aspirations. But they should not remain pious aspirations as though in the Bhagwad Gita or the Constitution for all times to come. They must be implemented—if not overnight, atleast gradually, but definitely and surley. I think that is what Shastriji wants to say when he brings forward this Bill. That must be done. The welfare state was never achieved overnight nor was it achieved abruptly. In England we know how Fabian socialism came through years and decades ; in fact, the entire chapter of Directive Principles of State Policy has been taken more or less by the inspiration of Fabian socialism. Do it gradually, but when you do it, do it well. In fact, Madam Chairman, you know that the motto of the Fabian society, which is running for many years and for many decades now, has been very interesting. With a symbol of tortoise, the motto of Fabian society says—I quote—"when I strike, I strike hard." That means, You go steadily but surely. Shastriji's complaint and my complaint is that we are not even going steadily, much less surely, We are not going anywhere. We remain stuck up ; in 1978 we are practically where we were in 1950. Therefore, my point or demand is not to achieve everything what Shastriji wants to achieve in the matter of years or months but we must at least go in that direction as fast as we can. I do not want to take the time of the House by referring to Lord William Beveridge of England, by quoting what he said in 1944 when he gave a report on full employment. But the point to be remembered is that these are all matters to be done gradually, but surely in the right direction.

Now, I will come to the concluding part of Shastriji's Bill. What does he want ? He wants three things, right to employment, attached with it, unemployment insurance or dole. Now I want to say with all respect to Shastriji and to all other colleagues who have said this, that it is not possible, it has never been possible for any country in the world so far to give unemployment insurance or dole while it is tackling unemployment. The point to be remembered is that unemployment insurance or dole has been given in the developed countries of the West and economically advanced countries of the world only after they have achieved full employment or near full employment conditions.

The idea of unemployment insurance or dole scheme should be there only after achieving full employment or nearly full

employment, and then only the State should look after such a minority—those who are left without employment. But while tackling the problem of unemployment in such a vast country of massive numbers, Shastriji himself mentioned in his Financial Memorandum that 9·70 million are unemployed. Probably that was the figure for 7th October 1977 when the Bill was printed. Within 8 or 9 months the number has gone up surely. It has become 10 million perhaps. So, the point is, when we are tackling the problem of unemployment, how can you also side by side go on giving unemployment insurance or dole ? That was done by the Western countries and advanced countries only after achieving full employment. I think we should never forget this valid and fundamental point. And therefore, what we should tell the Governtment and ourselves is to carry on with the work of promoting employment as fast as we can, as meaningfully as we can and as effectively as we can and do it as early as possible so that when that level is achieved or fuller level is achieved or fuller employment is achieved, then whoever are in minority, *i.e.*, those without employment, they may be given the necessary unemployment insurance or dole. I hope I have made myself clear on that point.

About education, his second demand, that children should get a right to education. I agree with him. In fact although it may not be possible to do it in this Bill, I am of the opinion that higher or university education must be made free to those who qualitfy for it. of, course, education must be free, compulsory and universal up to the age of 14. That is already laid down in the Constitution. But I want to emphasise the word 'free' by saying that it must be quality education, not just free education. Many times free education means useless education. Our children may not go to municipal schools, our children go to private schools. When I say 'our' I mean the elitist classes who come to Parliament. public life and all the rest of it. But a large number of peoole send their children, they have to send their children only to municipal schools and other schools like panchayat schools. Why ? Because that is free, but it is not quality. That is why Lohiaji was right Dr. Ram Manohar Lohia said that when the President's son or daughter, Prime Minister's son or daughter, and the poorest man's son or daughter go to the same school and get the same quality of education, that will be the day when education will have become real and valuable. Otherwise, it is 'free' means cheap but useless and without quality. We do not want that kind of thing to happen. But as I was saying, I want to promote the idea of university education also becoming free to our 'quality. boys and girls. I am now saying that university education must be only for those who are competent, who are qualified, I am only talking in the academic sense. But when they are academically qualified, if they are economically poor, the State must look after the education, the tuition, books and living expenses of those poor students, whether they are boys or girls, if they are talented and intellectually equipped for the job.

Finally, Madam Chairman, Shastriji wants, and I am quoting 23 (c) where he says, that "State shall provide monetary assistance to evry citizen who has ccmpleted the age of 60 years, or remian sick etc." I entirely agree with that. if I have a choice, I would say to Shastriji that I agree with him on 23(c) totally, 23(b) partially, 23(a) only in terms of hopes and ideals, not in terms of practical considerations, as that is not possible. But on 23(c) when I say I agree with him, Madam Chairman, the point is when you look at the Budget of our country, not only the Budget, but the expenditutre of our country, and see how money is not only spent, but misspent, wasted on luxuries and on projects which have no meaning, on bogus kind of ideas, why should we spend crores of rupees on those status symbols? Instead, those crores must be diverted to living human beings of this country who are old, who are sick, who are disabled, but who have nonetheless a right to live honourably and in a dignified way in this country. Therefore, that money, although it may be a large amount, can still be saved not by creating more money, but by getting rid of the uselessly spent money and then utilising it by transferring it to helping the poor and the disabled.

With these words, Madam Chairman, I want to Conclude, but also refer to what one of our friends said about election promises. Let us not give wild election promises when we go to the next election—whenever that election be, I hope it is not too early, but whenever it is, we are all ready, whether it is early or late—because the point is that we should not be very liberal and too generous in giving election promises only for forgetting ourselves, but the people will not forget, even though we will forget, and that is the dishonesty and deceptian which we must not allow to be practised.

With these words, I want to say that I support Shastriji in his laudable objectives. His Financial Memorandum itself says that it is a very difficult proposition to put into practice—Rs. 600 crores minimum, annually. But at least it is a good Bill because it does stand for strengthening

[Prof. P. G. Mavalankar]

public opinion and it arouses this Government's urgent attention and pleads for prompt implementation on the right lines. From that angle I warmly support and endorse the initiative that he has taken.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो): माननीय सभापति महोदय, शास्त्री जी ने श्री संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। आप देखें कि देश को जो हालत है, गरीबी, असमानता, बेकारी, भुखमरी, इसको कैसे बदल सकते हैं इस पर हमें विचार करना ही है। केवल बातें करते रहें और कोई कदम न बढ़ायें तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत हम उस दिशा में चलें और उसे पूरा करें। शास्त्री जी ने अनुच्छेद 23 के पश्चात् 23 (ए), 23 (बी), 23 (सी) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है—काम का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बीमार, असमर्थ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जो 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं बीमार रहते हैं या स्थाई रूप से असमर्थ हैं उनको सहारा देने के लिए वित्तीय सहायता का इसमें प्रावधान है। जो बातें इसमें रखी गई हैं वह वही हैं जिनको हम कहते हैं। अगर हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है तो हम इसी आधार को ले कर मिटा सकते हैं। हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि मौलिक अधिकार में सम्पत्ति के अधिकार की समाप्त कर के रोटी रोजी का समावेश करना पड़ेगा। आगे यह भी कहा है कि जो आर्थिक रूप रेखा है उसमें कहा गया है रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोटी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। यानी हमने इन बातों को माना है, तो हमें उसको पूरा करना तभी सार्थक होगा जब उसके लिए कोई कानून बनायेंगे। तो जो शास्त्री जी ने मार्ग दर्शन किया है हमें उसको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। कितनी बेकारी बढ़ी हुई देहात में, शहर की गलियों में। जो गरीब आदमी हैं उनके पास साधन नहीं हैं। जो छात्र लाखों की तादाद में स्कूलों से निकलते हैं रोजी की तलाश में उनका जीवन अनिश्चित है, भविष्य अंधकारमय है। अतः उनका जीवन उज्ज्वल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनको एक ऐसी गारण्टी दें, ऐसा अधिकार दें जिससे वह बेकार न फिर सकें और जैसे ही शिक्षा प्राप्त कर लें उनको काम दें। इसी तरह चाहे कम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों उनको भी हम काम दे सकें।

उद्योग मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उद्योग खोलेंगे। उससे लोगों को काम मिलेगा। इस तरह से जब हम वचनबद्ध होंगे तभी लोगों को काम दे सकते हैं। इस लिए काम का अधिकार बहुत जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, अमन चैन तभी कायम रह सकता है जब शांति कायम कर सकें, और शांति तब होती है जब हमारे साधन ठीक हों। समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह तभी कर सकते हैं जब असमानता मिटे। 30 वर्ष से बराबर कह रहे हैं कि असमानता को मिटाना है, लोगों को काम देना है। अतः समय आ गया है कि जो वचनबद्ध हैं हमें उस ओर जाना चाहिए और जब तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें कानून बना कर के जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको काम का अधिकार देना जरूरी है।

छात्रों में बेहद असंतोष है जिसे हम लाठी, गोली और जेल से दूर नहीं कर सकते। हम उन्हें काम दे कर ही संतुष्ट कर सकते हैं। सम्पत्ति का मोह बड़े-बड़े आदमियों को हो सकता है जिसके पास सम्पत्ति है। हम चाहते हैं कि जो साधनहीन हैं, उनके

पास भी सम्पत्ति आये। सम्पत्ति उन्हें तभी मिल सकती है, जब उन्हें काम मिले।

हम देखते हैं कि आरक्षण की बात कितनी चलती है, कितना इस बारे में विवाद होता है। मैं कहता हूं कि अगर काम की गारण्टी मिल जाये तो यह झगड़ा अपने-आप समाप्त हो जायेगा।

भाषा का विवाद है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग क्यों हिन्दी का विरोध करते हैं? वह इसलिए करते हैं कि अगर सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी चल जायेगी तो हम अंग्रेजी पढ़े-लिखों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा ही हिन्दी वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेजी क्योंकि ज्यादा चल रही है, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलती है। आरक्षण और भाषा के विवाद अपने-आप समाप्त हो जायेंगे अगर हम उन लोगों को काम की गारण्टी दे सकें।

इसी तरह से हम भ्रष्टाचार को भी मिटा सकते हैं। आप देखें समाज के आदमी क्यों इस झंझट में पड़ते हैं। रोजाना अखबारों में चोरी, डकैती, अपहरण और लूटमार की खबरें निकलती रहती हैं, आखिर ये सब क्यों होते हैं? करोड़ों रुपया शासन का इस पर खर्च होता है। यह सब इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग बिना साधन के हैं और मजबूरन वह गलत काम करते हैं। अगर काम मिल जाये, कुछ गारण्टी मिल जाये तो वह गलत काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से देश में अच्छा शासन चल सकता है और लोकतंत्र ठीक से काम कर सकता है।

शिक्षा के मामले में भी आप देखेंगे कि गरीब के बेटे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। कई लड़के साधन न होने की वजह से पढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरेक को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी पड़े और कोई यह न कह सके कि हमारे पास साधन नहीं थे, इसलिए नहीं पढ़ सके।

जो वृद्ध, असमर्थ और बीमार होते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, उनका जीवन नारकीय और परेशानी का होता है। सरकार को इसकी गारण्टी लेनी चाहिए कि उनको वित्तीय सहायता दे चाहे वह अपंग हो या बूढ़ा हो। सर्वप्रथम साधनहीनों को सहायता दी जानी चाहिए। हम अच्छे समाज की कल्पना कर रहे हैं, समाज में समानता से रह सकें, किसी को दुःख न हो, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम ऐसे कानून बनायें जिससे सब सुविधाएं लोगों को मिल सकें। शासन ऐसा समझता है कि हम कानून बना देंगे तो काम-याबी कैसे करेंगे? जैसे श्री मावलंकर जी ने कहा कि हम बजट को देखते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है। जिस तरह से उस समय अनाप-शनाप खर्च होते थे उसी तरह से अब भी हो रहे हैं। हमें इस तरह के खर्चों को बन्द करना पड़ेगा, मजबूती से अपने बजट को बनाना होगा। साथ ही हमें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है, गरीबों को ऊपर उठाना है, वृद्धों को सहायता देनी है। इस सब के लिए व्यवस्था कर के अगर हम लोगों को इसकी गारण्टी दें तो मैं कहता हूं कि देश का वातावरण बदल जायेगा। अगर आपने इस संशोधन विधेयक को पास कर लिया तो मैं कहता हूं कि आप जनता सरकार की जड़ें बहुत मजबूत कर लेंगे और प्रजातंत्र को बहुत मजबूत बना देंगे। इन शब्दों के साथ मैं शास्त्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन के

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

माननीय सदस्यों व विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन विधेयक को पास करवायें और जो मैंने संशोधन रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये, उसे भी पास करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

आज हमारे देश के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के नौजवान अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद बेरोजगार रहते हैं। यह समस्या केवल शिक्षित लोगों के बीच में ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के बीच में भी है, जो या तो कम पढ़े हैं, या बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस समस्या की तरफ़ हमारे देश की सरकारों ने समय-समय पर जो ध्यान दिया है, और इसे सुलझाने के लिए जो कार्य किया है, वह हमेशा ही नाकाफ़ी रहा है। जब तक हम बहुत मजबूती और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान सम्भव नहीं होगा।

हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि हमारे संविधान में फण्डामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ़ स्टेट पालिसी के बीच किस तरह समन्वय स्थापित किया जाये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ़ स्टेट पालिसी में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो व्यक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखता हैं। मगर कभी कभी फण्डामेंटल राइट्स के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार या हमारी व्यवस्था जनता को सही ढंग से वे सुविधायें प्रदान नहीं कर पाती है, जिन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में उल्लेख किया गया है। ख़ास और से सम्पत्ति का अधिकार, राइट टु प्रापर्टी, बढ़कर रास्ते में रोड़े के रूप में आया है।

हम उन दिनों को भी याद करना चाहते हैं, जब इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि जब यह कदम उठाया गया था, तो देश की जनता ने उसका स्वागत किया था। लेकिन फण्डामेंटल राइट्स की वजह से ये दोनों मामले कोर्ट में गये और वहां पर कुछ दिनों तक इस प्रकार से उलझ गये कि सरकार को पालियामेंट के माध्यम से कुछ कानून बनाने पड़े।

आज ऐसे बहुत से कार्य है, जिन को अगर सरकार करना चाहे, तो फण्डामेंटल राइट्स, और विशेषकर राइट टु प्रापर्टी, रास्ते में आयेंगे। मैं विधि मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस कान्ट्राडिक्शन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक इस कान्ट्राडिक्शन को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक सरकार इस देश में बेरोज-गारी और ग़रीबी को खत्म नहीं कर पायेगी, और जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिन सरकारी सुविधाओं को आवश्यकता है, वह उन्हें प्रदान नहीं कर पायेगी।

आज देश में बेरोजगारी के कारण अराजकता फैल रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो डकैतियां हो रही हैं, ट्रेनें लूटी जा रही हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उन का विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान इन अपराधों में भाग ले रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो देश में बढ़ती हुई अराजकता और हिंसा को समाप्त करना हमारे लिए मुश्किल होगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे इलैक्शन मैनिफ़ैस्टों में यही बात कही गई थी, जो शास्त्री जी ने इस विधेयक के द्वारा यहां लाने की कोशिश की है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इलैक्शन जीतने के बाद हमारा ध्यान उधर नहीं गया है। हमारा ध्यान उधर जाना चाहिए, ताकि हम देश के बेरोजगारों को रोजगार दे सकें और देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें, जिस में प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, तो मैं बहुत साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि हम आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कायम रखने में सफल नहीं हो सकेंगे।

जहां तक बेरोजगारी का भत्ता देने का प्रश्न है, कुछ राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है, जब कि अन्य राज्य सरकारें इसे स्वीकार नहीं कर सकतीं। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार और इसे स्वीकार न करने वाली राज्य सरकारों के सामने ऐसी कौन सी कठिनाई है, जो उन राज्य सरकारों के सामने नहीं है, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है। हम विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहेंगे कि वह बेरोजगारी का भत्ता देने के सवाल पर गंभीरता से विचार करे और इस दिशा में कोई पाजिटिव डेसीशन ले ताकि लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

17.00 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

हमेशा ही पूंजी, आय और खर्च पर सीमा निर्धारित किए जाने की बात इस सदन में कही गई है। आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर पूंजी, आय और खर्च की सीमा निर्धारित की जाय तो बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी सरकार के हाथ में आ सकती है जिसका प्रयोग कर हम इस देश में कृषि का विकास कर सकते हैं, छोटे उद्योगों का विकास कर सकते हैं, बड़े उद्योगों का विकास कर सकते हैं और देश के नौजवानों को, शिक्षित लोगों को उस में रोजगार दे कर देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।

छठी पंच वर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में काफी योजनाएं बनाई गई थीं। मैं समझता हूं कि यदि छठी पंच वर्षीय योजना को ठीक ढंग से लागू किया गया तो देश से बेरोजगारी को समाप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Bill was 2 hours and now it is practically over. How much time the House would like to give to this Bill ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इस में हमारे घोषणापत्र को कार्यान्वित करने का सवाल है जिस में सारा सदन दिलचस्पी रखता है। मेरा प्रस्ताव है कि इस में छः घण्टे का समय बढ़ाया जाये।

MR. CHAIRMAN : I am in the hands of the House. But I think 45 minutes will be enough so that the other hon. Member may also get the chance to start his Bill.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : केवल 45 मिनट श्रीमन् ? इस पर अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House to extend the time on this Bill by 45 minutes. ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का जो अगला दिन आएगा उस दिन भी यह चर्चा चलनी चाहिए।

सभापति महोदय : सदन की राय यही है कि 45 मिनट का समय इस के लिए बढ़ाया जाय।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : श्रीमन्, बहुत लोग बोलने वाले हैं, 45 मिनट का समय बहुत कम है। अभी इस के ऊपर चर्चा दूसरे दिन भी चलनी चाहिए।

सभापति महोदय : दो घंटा चर्चा इस पर हो चुकी है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं बहुत थोड़े में ही अपनी बात कहना चाहता हूं।

मैं कह रहा था कि छठी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप को जिस को कि हमारे इस माननीय सदन ने पास कर दिया है, उस को अगर सही ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो देश में बेरोजगारी को खत्म करने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस पंच वर्षीय योजना का ठीक ढंग से कार्यान्वयन तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि देश की सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाती, नौकरशाही के ऊपर ठीक नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाता और बढ़ती हुई आबादी को रोकने का प्रयास नहीं होता। अगर हम इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते तो छठी पंच वर्षीय योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकेगी। और हमें जो आशा है उस की उपलब्धियों की बेरोजगारी को समाप्त करने के सम्बन्ध में वह पूरी नहीं हो सकेगी। नतीजा यह होगा कि देश में पुनः निराशा का वातावरण फैलेगा।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य करने में सक्षम है, उसे कार्य करने का अधिकार देने के लिए संविधान में जो संशोधन माननीय शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उस का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करें।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur) : Mr. Chairman, Sir, first of all, I congratulate Shri Y.P. Shastri for having brought forward this Bill to focus our attention to amajor problem, a curse on our nation, that is, of unemployment. He has already given the object of the Bill :

> "The Bill seeks to give legal effect to what is contained in articles 41 and 45 and make these rights justiciable and Fundamental Rights."

I need not just elaborate on the magnitude of this unemployment problem in the country. This has been there for the last so many years. The live register of Employment Exchanges does not really reflect the unemployment position in the country.

Most of the Employment Exchanges are situated in certain district headquarters. Only those people who are adjacent to those districts, the lower middle-class and the upper middle-class unemployed people care to register themselves in those Employment Exchanges. The real magnitude of the unemployment problem is beyond the number of unemployed people registered in the live register of the Employment Exchanges. In the rural areas, most of the people do not care to go to register themselves in the Employment Exchanges. The unemployment position is very acute in the rural areas. There are also educated unemployed people, like doctors, engineers and others who are rotting in the streets for just a day's bread. It has become such a problem that it has created enough headache for our society.

Apart from unemployment, there is under-employment and partial employment. In villages, most of the agricultural workers and such type of workers have got only seasonal employment in a year. They have employment for about 3 months in a year and for the remaining 9 months, they are unemployed. That is also really a problem connected with unemployment problem for which some remedy has to be found.

What is the position of unemployment in the country? If you go through the statistics of the last 30 years, as every year passes, the unemployment problem

gets accentuated. With so many promises, with so many policies, with so many plans and with so many economic measures, we could not even touch the fringe of the problem. Those who are in power have to think of some radical economic and political measures.

There are some States where there is no unemployment at all. If you take the socialist countries, like, China, Russia, Yugoslavia and such other countries, they can very well be proud of saying that there is no unemployment at all. But even if you take some advanced capitalist countries, like America, the unemployment problem is a regular curse on them. So, the problem of unemployment can only be solved if you take some fundamental and radical economic and political measures. Unless you tackle that problem boldly, it will be only a pious wish to get it solved within 5 or 10 years. Even in the Janata Party manifesto, there is a mention of it. Apart from their manifesto, there have been declarations made by prominent leaders of the Cabinet and a target of 10 years has been fixed for the eradication of unemployment. My only wish is, God save us.

The problem of unemployment has all along been there for the last 30 years and it has been accentuated year by year. It has become a social problem. It creates so many other problems, unrest in the family, unrest in the society and all sorts of tendencies. The people resort to all sorts of methods and create a law and order problem. It has become a crucial social problem. This problem of unemployment has got such a magnitude that it has got a vital bearing on the overall economic and political situation in the country.

With all these things, the question is, how to tackle this problem of unemployment.

As I have mentioned, there is, apart from this unemployment, partial unemployment. Then there are certain industries which run in a particular season and the rest of the season the workers who are working there remain idle, unemployed. So, this unemployment, as it is, apart from the live register unemployment in the Employment Exchnages, if you take the number of unemployed and underemployed it will run into millions and all that.

I want to emphasise one point with the limited time at my disposal. Now almost all the organisations, trade unions as well as youth organisations, are clamouring for perhaps some remedy for this unemployment problem. Perhaps there might be some difference of opinion on this question and some hon. Members have also expressed their differences on the question of giving doles, unemployment doles. This question has been there for the last 30 years and almost all the unemployed and under employed people are clamouring, agitating and thinking in terms of getting employment. They have found no remedy for this problem. At least, they are now demanding some unemployment doles. It can be done. I shall just cite one example. As far as the Kerala Government is concerned, it has inaugurated a scheme there by all those people who have remained unemployed for the last 3-4 years on the live registers of Employment Exchanges will get a dole of Rs. 400 in one year. Also there is a scheme similar to that or similar to some extent or with some variation in Bengal. But that scheme by itself does not give unemployment dole only but by giving dole to unemployed people, they are made to work in the national reconstruction jobs in the rural areas and in so many other lift irrigation projects, or some sort of projects or some other work and all those things.

As far as this scheme is concerned, in the present context, there is nothing immoral or unjustified for unemployed people to demand this kind of dole, unemployment dole. If the Government could provide for enough money for this scheme or provide for enough finance in the Budget, I think the situation can be eased. I only request the Government that they should follow that scheme here and then not only unemployed people should be given unemployment dole but they can be organised as an army of unemployed people who would be engaged in construction work connected with the natianal work and so on. This is how we can, for the time being, ease the situation and find out solution of this problem. I still hold the view that the ultimate solution of this problem lies elsewhere. Unless you alter the social and economic structure of the country, you cannot solve this problem. Unless you throw away the private monopoly and the other sections of the people who wield power and in whose hands the means of production are, you cannot solve it.

So, I request the Government to try to solve this problem as much as possible because the spirit of the Bill is very good and they should take into account the aspirations and sentiments of the people. With these words, I have done.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, शास्त्री जी जिस विषय पर यह बिल लाए हैं, उस विषय के सम्बन्ध

[श्री राम विलास पासवान]

में आज से चार-पांच दिन केवल मेरे एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के पास 'राइट टू जाब' के बारे में कोई चीज विचाराधीन नहीं है और बेकारों को भत्ता देने के सम्बन्ध में भी सरकार ने कहा था कि वह इस पर विचार करने नहीं जा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार ने अपनी मान्यता जाहिर कर दी है।

हमारे एक साथी ने बताया कि एक तरह से जो हमारा स्तम्भ है, जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारा मैनीफेस्टो है, जिस चुनाव घोषणा-पत्र को ले कर हम चुनाव में गये और जिस चुनाव को हम ने जीता, उसमें स्पष्ट रूप से हम ने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार पाने का अधिकार देंगे, आज उसी चुनाव घोषणा- पत्र की इस बात को हम डेढ़ साल के बाद ठुकरा रहे हैं।

सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तबके से आते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, उन के नजदीक जाने से नौजवान लोग हिचकिचाते होंगे और जो मंत्री लोग हैं उन के पास जाने के लिए उन को टाइम पहले लेना होगा, लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे पास वे नौजवान लोग बेधड़क पहुंच जाते हैं और हम से प्रश्न करते हैं कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से आप के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार की जानकारी में शायद यह हो या न हो, लेकिन मैं आप को बताता हूं कि यदि इस देश में आज सब से ज्यादा निराश कोई वर्ग है, तो वह युवा वर्ग है। यही कारण है कि जब जब देश में कोई क्रान्ति आई है या जब भी किसी काम में आगे आने की बात आयी है तब तब यह नौजवान तबका ही आगे आया है।

सभापति महोदय, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम दस साल में बेकारी की समस्या को दूर करेंगे। मेरे क्षेत्र के बगल में जार्ज साहब का क्षेत्र है, जार्ज साहब ने वहां कहा कि उत्तर बिहार में एक साल में दस लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहां अब तक दस सौ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। जनता सरकार को आये सोलह महीने बीत गये हैं, क्या मैं सरकार से पूछूं कि उसने इस अवधि में 1/10 अनएम्प्लाएमेंट को खत्म किया है? नहीं किया है। इससे तो ऐसा लगता है कि जब दस साल बीत जाएंगे तो उस समय फिर सरकार कह देगी कि हमें दस साल और दे दीजिए इसको खत्म करने के लिए। इसका तो कोई अन्त नहीं है। मैं तो कहूंगा कि यह तो एक आदर्श की दुनिया में भ्रमण करना है। देश में बेकारों की फौज खड़ी होती जा रही है और हम जनता को भ्रम में डालते जा रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि ठहर जाओ, हम यह करने वाले हैं।

इस बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार पर इसके लिए कहीं न कहीं बन्धन अवश्य लगना चाहिए। सरकार को एक टाइप बाऊण्ड कार्यक्रम, समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समस्या को हल करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो जैसा कि हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम बेकारों को रोजगार पाने का अधिकार देंगे, वह अधिकार हमें बेकारों को देना चाहिए। अगर बेरोजगारों को रोजगार पाने का अधिकार होगा तो सरकार पर एक तरह एक बंधन हो जाएगा और उसे लोगों के रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जब सरकार से पूछा जाता है कि बेकारों की संख्या का यह कैसे पता लगाती है तो सरकार कहती है कि हम एम्पलाएमेंट एक्सचेंज में दर्ज नामों से पता लगाते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मैं कहता हूं कि मोटा-मोटा हिसाब लगा कर चलना चाहिए। इस देश की 60 करोड़ जनसंख्या है। पांच-पांच व्यक्तियों के 12 करोड़ परिवार हैं। हर परिवार के पीछे एक आदमी निश्चित तौर पर बेकार है। इस तरह मोटे तौर पर इस देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मैं इसी सदन में पहले भी कह चुका हूं कि इसको दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप बेकारों को काम दीजिए। अगर आप उन्हें रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उन्हें बेकारी भत्ता दीजिए। अगर आप उन्हें बेकारी का भत्ता भी नहीं दे सकते हैं तो आपने नौकरी पाने की आयु सीमा लगायी हुई है उसे हटाइये। यह मैंने तीन बार इस सदन में कहा है। जब व्यक्ति 25वें साल में होता है तो वह साल उसके लिए बड़ा प्राण लेने वाला साल होता है। जिस दिन वह एज बार हो जाता है उस दिन वह चोर बन जाता है या डाकू बन जाता है। कोई एण्टी सोशल एलीमेण्ट की केटेगरी में आ जाता है। अगर यह भी वह नहीं कर पाता है तो उसके सामने फाका करने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए सरकार के लिए यही सब से अन्तिम रिमेडी है। जब तक सरकार किसी बंधन में नहीं बंधेगी, जब तक अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व नहीं लेगी कि वह सबों को रोजगार पाने का अधिकार दे तब तक सरकार की किसी भी एजेन्सी पर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होगी।

मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ऐसे देशों—रूस, लीबिया, जापान, चेकोस्लोवाकिया बल्गारिया, बंगलादेश—का नाम है जहां राइट टू वाक है। इन देशों के अलावा 28 देश ऐसे हैं जहां लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

मैं कहता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में लोगों को रोजगार पाने का अधिकार देने का वायदा किया हुआ है, फिर भी आप यह अधिकार क्यों नहीं दे रहे है। आप कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके जो ये तस्कर लोग थे, उनमें से एक ने कहा था कि जितने बड़े बड़े नगर है, महानगर है, इनमें जितनी भी सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति का 75 प्रतिशत भाग ब्लेक मनी में है। आप इस ब्लेक मनी को क्यों नहीं निकालते है ? आप इसे निकालिये और उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाइये। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। बात यह है कि सरकार का इरादा या सरकार की नीयत नहीं है। अगर सरकार का इरादा या नीयत पक्की हो जाए तो सारा काम बन जाएगा। हेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। जहां चाहत है वहां राहत है। जब हमारी नीयत या इरादा न हो तो हमें सब काम पहाड़ नजर आएगा और हमारे पास बहुत से बहाने भी हो जाते हैं।

अन्त्योदय की बात आप करते हैं। अन्त्योदय की बात आप तभी कर सकते है जबकि सभी को नौकरी पाने का अधिकार आप प्रदान करें। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक परिवार को एक इकाई मान कर चलें। बारह करोड़ परिवार देश में होंगे। इस प्रकार से बारह करोड़ इकाइयां हुई। हर परिवार में आप एक एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था करें। हम ने सब बेकारों को दस साल में काम देने का समय निर्धारित किया है। सोलह महीने तो निकल गये हैं। बाकी

[श्री राम विलास पासवान]

जो अवधि बची है उस में आप देखें कि प्रत्येक परिवार में से एक को अवश्य रोजगार मिले। अगर इस हिसाब से आप काम करेंगे तब दस साल के बाद आप कह सकेंगे कि हमने काम किया है और अपना वादा पूरा किया है।

बेकार दो प्रकार के हैं। कोई अफसर का बेटा बेकार नहीं होता है, आई ए एस का बेटा या किसी पूंजीपति का बेटा बेकार नहीं रहता है। बेकार रहता है गरीब का बेटा। वह मैट्रिक पास करता है, आई ए पास करता है और पास करने के बाद रोजगार दफ्तरों के चक्कर काटता फिरता है, दफ्तरों में इधर-उधर दौड़ता फिरता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से उसकी आयु पच्चीस साल हो जाती है और वह नौकरी पाने का अधिकारी नहीं रह जाता है। वह बेकारी की आग में झुलस कर मर जाता है। बेकार रहता है उसका बेटा जिसके पास पांच बीघा, दो बीघा और तीन बीघा जमीन है और जो साल में तीन महीने कमाता है और नौ महीने खाली बैठा रहता है। वह नौ महीने स्वयं भी बेकार रहता है। उनके लिए आप कुछ व्यवस्था करें।

जहां तक कम्पलसरी एडल्ट एजुकेशन का सम्बन्ध है और बच्चों को शिक्षा देने का सम्बन्ध है आप कानून ही न बनायें बल्कि यह भी देखें कि कानून के मुताबिक उस पर अमल भी हो रहा है या नहीं, उसका पालन भी हो रहा है या नहीं। आप बच्चोंको कम्पलसरी एजुकेशन देने की बात करते है। लेकिन आप यह भी देखें कि उस बच्चे के पेट में कम से कम नाश्ता भी जाता है या नहीं, उसके पेट में अन्न है या नहीं। नाश्ते का भी आप प्रबन्ध करें। ये दोनों चीजें साइड बाई साइड चलनी चाहिए। यदि आप अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करते है और दूसरी तरफ उस के पढ़ लिखने के बाद उसको रोजगार की गारन्टी देते है तो मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ा और सब से ज्यादा सराहनीय कदम होगा। यदि जनता पार्टी इसको कर देती है तो मैं समझता हूं कि इसी इशू पर जनता पार्टी की सरकार दस बरस तो क्या पचास बरस तक राज कर सकती है। आप यह न समझें कि जनता आपको देख नहीं रही है। आपने दस साल की लाइन खींची है। लेकिन जनता सोलह महीने में ही ऊब सी गई है। आप देखें कि बेकार नौजवानों की कतारें अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और इनकलाब जिन्दाबाद के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए है, हम लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। इस वास्ते आप अभी से सावधान हो जाएं।

यह जो बिल आया है इसको आप पास करें। राइट टू जाब वाली बात को आप बिना किसी हिचक के मान लें। यदि आपने ऐसा किया तो सत्ताधारी लोग और विरोधी पक्ष के लोग दोनों आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे। सभी इसको पास करना चाहते है। आप भी इसमें योगदान करें और इसको पास करें। जनता पार्टी को तब नौजवान दुआ देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और समाप्त करता हूं।

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat) I Mr. Chairman, Sir, I have no hesitation in commending the legislative efforts of my hon. friend Shri Y.P. Shastri in a matter of such basic concern for the people of the country. I am sure that the Government would also view this Private Member's Bill in that spirit and accept it in toto.

In 1952 we gave to ourselves the Constitution—the Constitution of the people, by the people and for the people. Constitutionality is the touching-stone of the Constitution. During the past three decades of our free existence the nation

*The original speech was delivered in Tamil.

has grown but the desired unity in thought and action has not yet come about. A private Member's Bill, however important it may be, is not allowed to become an act. The Government of Indian should have on their own brought such a legislation. I plead with the Government that they should have no reservation in accepting the basic issues raised in this Bill by Shri Y. P. Shastri.

On August 15, 1947, Pandit Jawahar lal Nehru proclaimed that India has woken up when the world is in deep slumber. The guiding principles for the free Government of India were eradication of poverty and elimination of illiteracy from the country. No doubt the country has made strides. Yet the twin problem of unemployment and illiteracy continue to haunt the nation. About a crore of people are registered as unemployed on the Live Registers of Employment Exchanges in the country. If you take into account those who are not able to get themselves registered with the Employment exchanges and also those who are under-employed throughout the country, the figure will assume alarming proportions of several crores.

I will illustrate the magnitude of the unemployment by quoting my own experience. You are aware that the M.Ps. have been authorised to sign the Pass-Port Applications. I need not say that Kerala occupies a pre-eminent position in the country in having cent percent literacy. As the Sun rises in the morning, I find every day thousands of youngsters thronging my house in Palghat for getting their Pass-Port applications signed. They are all job-seekers outside the country. Throughout Kerala the number of young unemployed seeking jobs outside the country may run into several lakhs. I am personally aware of the agony of such educated youngsters who do not find employment within the country.

The Kerala Government has launched a scheme of financial assistance to the unemployed youngsters. Those who are on the registers of Employment Exchanges from 1975, without getting employment, are given financial assistance. Their services are also utilised in the national reconstruction programmes till they get regular jobs. Within the meagre resources available to the State, the Kerala Government have come to the succour of the suffering youngsters who are unemployed.

Shri Shastri has given the figure of Rs. 400 crores for implementing such a scheme of financial assistance throughout the country. The amount is within the reach of the Central Government. As has been suggested, this assistance can be treated as loans and after the youngsters get jobs this can be recovered in easy instalments. The Janata Government, which profess to reflect the aspirations and ambitions of the people of the country and which swear not infrequently to establish a record of achievement in the matter of meeting the primary needs of the people, must not hesitate to accept the suggestions of my hon. friend Shri Shastri who belongs to the Janata Party.

A small State like Kerala has made education free upto the collegiate level. The very fact that Shri Shastri has brought forward this Bill suggesting that education should be free to the children upto the age of 14, shows that in many parts of the country education is still not free upto the age of 14. Education is the basic primary requisite of democracy. The edifice of parliamentary education cannot be built on the quicksand of illiteracy. Similarly the superstructure of democracy cannot be based on the quicksand of unemployment. I would like to emphasise that we want to leave a free country for posterity then we must with in a stipulated period eradicate illiteracy and eliminate unemployment from the country. Both should get constitutional support: they must form part of the constitutional efforts of the Government.

PROF. P. G. MAVALANKAR : The hon. Member from Kerala is speaking so very well in Tamil. If only he can speak a little less loud, we can hear the translation better; at the moment we hear only his voice.

SHRI A. SUNNA SAHIB : We have adult literacy programmes for the past thirty years. Yet we find that 70 percent of our population continues to be illiterate. This clearly shows lack of concerted efforts to eradicate illiteracy from the country. The hon. Minister, Shri Shanti Bhushan, is a lawyer and I am also a lawyer. We have been for years and years about providing free legal aid to the poor. Even the two words 'legal' and 'aid' have not yet come nearer. We have not been able to implement this throughout the country. it is not very difficult to take shelter under some sort of excuses. I have quoted this as an example. The twin problem of unemployment and illiteracy is as elusive as an eel. I would like to point out that our ancient indian culture must not only be kept unsullied but it must be magnified, dignified, glorified, enhanced and sublimated. If this is to be done, employment opportunities must be created in all sectors of economy. I would only appeal to the Janata Government that if desires are created among the people then the

[Shri A. Sunna Sahib]

Government must endeavour effectively to fulfil those desires.

I would appeal to the hon. Minister that he must unhesitatingly make Right to work as a Fundamental Right, it becomes all the more important if the Government is going to fulfil its commitment of removing the Right to Property as a fundamental right, in this background I would suggest provision of financial assistance to the unemployed and the disabled over 60 years and also make education free and compulsory to the children upto 14 years.

With these words I conclude my speech and thank you for giving me this opportunity to say a few words.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शास्त्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह बिल लाकर समूचे सदन का और देश का ध्यान इस ओर खींचा है।

इस बिल में तीन बातें कही गई हैं। एक तो काम दो, नहीं तो दाम दो, दूसरे अनिवार्य शिक्षा और इस देश से निरक्षता का उन्मूलन और तीसरे इन्होंने कहा है कि जो 60 बरस से ऊपर के लोग हैं और जिन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है, उन सब को पेंशन मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, यह तीनों बातें बहुत आवश्यक हैं जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। इस देश को विगत 30, 31 साल की हकूमत ने एक तरह से पहली बना कर रख छोड़ा था। इस देश में अगर मोटे-मोटे हिसाब लगाये तो 12–13 करोड़ लोग बेकार हैं। दूसरी तरफ़ 30 साल की आज़ादी के बाद भी हम में से 30 प्रतिशत लोग ही ए बी सी डी या क, ख, ग, पढ़ पाये हैं, 70 प्रतिशत आदमी निरक्षर हैं, अंगूठा छाप हैं।

यद्यपि इस देश में एक आदमी पर 6, 7 कट्ठा जमीन पड़ती है, फिर भी इस देश में जितनी खेती वाली जमीन है, उस में से लगभग एक-चौथाई जमीन अभी भी बेकार परती पड़ी हुई है। हमको चाहिये कि जो बेकार, अनपढ़ नौजवान हैं उनको इकट्ठा करके इस काम में लगाया जाये ताकि परती जमीन पर खेती भी की जा सकती है और उनको काम भी मिल सकता है। इतनी परती जमीन तथा व्यापक निरक्षरता के बावजूद भी आज हमारे यहां सब से ज्यादा बेकारी है। 60, 65 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें हमने प्रतिज्ञा की थी कि हमारी हुकूमत होगी तो हम यहां के सभी बेरोजगार लोगों को काम का अधिकार देंगे नहीं तो बेकारी का भत्ता देंगे। एक बात समझ में नहीं आती है हमारे न्याय मंत्री तो सरकारी काम में नये हो सकते हैं लेकिन जो हमारे प्रधान मंत्री हैं वह तो विगत 30 सालों से हुकूमत की गद्दी पर थे। जब चुनाव मैनिफैस्टो बन रहा था तो वे भी उसको बनाने वालों में थे। आज माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आयेगा या हम बेकारी का भत्ता देकर लोगों को भिखारी नहीं बना देंगे। जब वह मैनिफैस्टो तैयार कर रहे थे उस समय लिखा था काम देंगे या बेकारी भत्ता देंगे। क्या चुनाव घोषणा पत्र बनाते समय माननीय प्रधान मंत्री ने यह नहीं सोचा था ?

आज देश में 16, 17 महीने हमारी हुकूमत को हो गये हैं। दस साला बेकारी मिटाने की योजना के अनुसार कम से कम डेढ़ करोड़ बेकारों को काम मिल जाना चाहिये था। देश का नौजवान जिसने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर, कालेज की पढ़ाई छोड़कर जनता पार्टी की हुकूमत को लाने का काम किया था, उसने आज हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम उन लोगों के लिये क्या

कर रहे हैं ? क्या सरकार सदन को बता सकती है कि बेरोजगारी मिटाने का समयबद्ध कार्य-क्रम क्या है ?

हम दिल्ली में एक साल से रहते हैं। हमको यह देख कर लज्जा होती है कि सिर्फ सहरसा जिले में कमसे कम दो ढाई सौ नौजवान जिनको हम जानते हैं, जिन में से कोई इंटर-मीडिएट है, कोई मैट्रिक है, कोई बी० ए० पास है—, दिल्ली में पांच रुपये रोज पर हम लोगों के बंगलों के आगे की दूब को काटते हैं, बागबानी करते हैं। यह हालत है हमारे देश में गरीबी और बेकारी की !

श्रीमती बड़कटकी यहां बैठी हुई हैं। कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री को बैठ कर एक प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम बेकारी को दूर करेंगे और लोगों को काम देंगे। अगर ये तीनों बैठ कर इस काम को करने की प्रतिज्ञा और शपथ ले लेंगे, तो इस देश के करोड़ों निरक्षर और पढ़े लिखे बेरो-जगार लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। जब बी० ए० पास नौजवान सहरसा जिले से यहां आकर हमारे बंगलों की दूब काट सकता है तो क्या शिक्षा मंत्री उसे पचास, सौ रुपये देकर साक्षरता अभियान में नहीं लगा सकते हैं ? लगा सकते हैं। इसके लिये दृढ़ इच्छा, लगन और योजना चाहिये।

यह भी आवश्यक है कि मंत्री महोदय एक घंटा सुबह या शाम किसी मुहल्ले या भंगियों के टोले में जाकर, जहां निरक्षर लोग रहते हैं, एक स्कूल में निरक्षता को मिटाने का काम करें। जब मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की में निरक्षता को मिटाने का अभियान चलाया, तो वह और उनकी बीवी भी जाकर स्कूल में पढ़ाते थे। इसी तरह क्या हमारे कानून मंत्री भी एक घंटा नहीं निकाल सकते हैं ? वह दिल्ली के निरक्षर लोगों के लिए मुहल्ले में एक स्कूल चलायें। एक स्कूल श्रीमती बड़कटकी भी चलायें, हम सब चलायें। इस तरह नौजवान लोगों को प्रेरित कर काम पर लगाया जा सकता है और इस देश की बेकारी को मिटाया जा सकता है। परती जमीन को खेती लायक बनाने के लिये गांव के अनपढ़ बेरोजगार नौजवानों की भूमि सेना संगठित की जा सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I must congratulate Shastriji. I was also associated for some time with the socialist struggle.

There are persons in the Janata Party with progressive ideas.

The programmes and policies of any political party are based on the political will of the people of the country. We have passed through thirty years after independence but still the Constitution is an obstacle to the progressive thoughts and progressive ideas for giving jobs to the jobless people in this country. It is not worth taking up the Constitution very seriously. Not that I would like to say that that it should be mutilated. We must make the Constitution a living organ which should reflect the real spirit of the people of this country.

A simple measure which he has proposed is to see that this right should be enforceable. It is only adumberated as a Directive Principle—to create a welfare society. Unless it has any sanction of the law, it cannot be implemented, because whichsoever Government comes, it may preach rather than practice. Therefore, I would quote—to-day it is a very explosive situation so far as jobs in this country are concerned, so far as employment position in this country is concerned.

I do not want to categorise the nature of employment. But every citizen has got every right to live peacefully. At least he must have work to do. But nature is plenty and man can exploit the nature. It is not that man power is wanted. The man power should be utilised and it should be employed in various programmes. But unfortunately in whatever the Government does, the will of the people is not being exercised fully.

[Shri K, Lakkappa]

Today, Mr. Shastris' ideas are not being fully taken up at their party level,—to force the Government to enforce these rights, which should be included in the Constitution.

My hon. friend Mr. Shanti Bhushan may not agree and his party may not agree. Mr. Morarji Desai may not agree, and the Janata Government may also collapse. This is the situation. Here I would like to quote one thing. (*Interruptions*) I am not blaming you only. I am blaming my own party. I am blaming every political party which functions in this country, because, they do not understand the realities of the situation. I know what the Janata Government is doing. It is my request that these unemployed people should be given all help and facilities, to get employment. But what is being done. The hon. Prime Minister Shri Morarji Bhai says: 'Oh, yes, we will eradicate unemployment by making programmes'—but, he is not going to accept such legislations which will lead to laziness in the country. I do not understand this. There is no rhyme or reason in the argument advanced by Shri Morarji Bhai.

It is high time that I quote a passage here which is revealing.

> "In the final analysis, the country's prestige is not what the world thinks of us, but how our people think of us.
>
> Where then is the prestige of India, if the people have no true pride in their country.
>
> Where is the prestige of the country, if the rulers find prestige in false glamour, in the words of the White Man or the World Bank.
>
> The country's prestige will have to be built from the furtherest corner of India, where Gandhijis *Last Man* struggles homeless, starving, naked, shivering in the cold, dying in the heat, thinking, this is his lot, because it is his Karma."

Why should you oppose any progressive policies which are brought in. I do not think the hon. Minister will agree. I welcome the suggestion made the other day in the Janata Party by Mr. Shastri. Any right thinking person should agree to it. It has been stated that they want to eradicate destitution within 10 years. But 2 years have already elapsed. Nothing has been done. What they do is, they proceed with enquiries and appoint commissions of inquiries and all that. That is all. They are playing with the sufferings of the people. They have not understood the realities of the situation, this explosive situation of unemployment. (*Interruptions*). Therefore I request them about this. (*Interruption*) Even I may come to that side one day, because, I know, the entire Government is collapsing now. There is no hope. This Government is incapable of making any necessary Constitutional change in this respect.

I welcome this Bill which Mr. Shastri has brought. Mr. Shastri is a respected colleague of ours who has fought for the freedom of our country. It is known to everybody that what we face today is a very serious, explosive situation. I do hope that he will take up this matter in his party, and persuade the Government to bring in an appropriate piece of legislation to amend the constitution in this respect. But I know, they may not do it. They will try to put it off on some pretext or the other.

MR. CHAIRMAN : Let us hear them.

SHRI K LAKKAPPA: I shall be the first person to welcome this. If the Government is very serious and progressive in nature, I hope the Minister will concede such a right to be adumbrated in our Constitution and make it enforceable throughout the country, I shall be the first person to support this Bill.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : Many members want to speak. I have a motion for circulation. I have not spoken at all.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tejpur) : Kindly extend the time by two hours. We all want to speak on this.

MR. CHAIRMAN : I am completely in the hands of the House. Earlier it was thought that it might be extended by one hour.

If the House desires to extend this by some more time, how can I have objection to it. I think you should be a little practical because the Private Members' time is already very short and it will be there again on the next Friday. I think you should be satisfied with one hour, I believe.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : What is your ruling in the matter of quorum. I have raised that there is no quorum—we are twenty short of the minimum required.

PROF. P. G. MAVALANKAR : We all agree that we want more time. we may go beyond one hour. Let us extend it by one hour and if the House wants, the Law Minister at this stage, may interevene rather than reply.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : The Member-in-charge will reply.

PROF. P.G. MAVALANKAR : Then he will be followed by other speakers. This is what happened last time.

MR. CHAIRMAN : I think we cannot force him. If he wants, he can intervene at this stage. Otherwise, he has a right to reply.

PROF. P.G. MAVALANKAR : He can intervene at this stage and we can have a discussion.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : Since hon. Members are very keen to speak I would also be very keen to hear them on such an important measure. Unemployment in this country is the most important problem which is being faced by this country. Obviously, I would like to have the benefits of the advice of the hon. Members.

MR. CHAIRMAN : So, is it the pleasure of the House to extend the time for consideration of this Bill by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS : By two hours.

MR. CHAIRMAN : What i the suggestion of the Minister of Parliamentary Affairs ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : अब माननीय सदस्यगण दो घंटे का समय बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है—समय बढ़ाया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN : All right. Is it the pleasure of the House to extend consideration of the Bill by two hours ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : So, the time is extended by two hours. Now I can call the other speakers.

Shri Kalyan Jain.

श्री कल्याण जैन (इन्दौर) : सभापति महोदय, चुनाव की घोषणा होने के बाद जनता पार्टी ने मुझे जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ जनता पार्टी के समर्थन में इन्दौर शहर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल जनसभा हुई जिसमें सवा लाख लोग मौजूद थे। पांच लाख की आबादी वाले शहर में मीटिंग में सवा लाख लोग आए उस मीटिंग में वाजपेयी जी ने घोषणा की कि हम जब सत्ता में आ जायेंगे तो व्यक्तिगत सम्पत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर देंगे और उसके एवज में रोजी रोटी का जो मौलिक अधिकार है वह लोगों को दिया जाएगा। मुझे दुःख है कि 15 महीने बीत जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यक्रम जनता पार्टी की सरकार की ओर से नहीं आया। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर सरकार कहती है, अगर प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई कहते हैं कि यह समस्या हल नहीं हो सकती है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उनको सुझाव देता हूं और बताता हूं कि किस प्रकार से इस समस्या को हल किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी समस्या का हल नहीं किया जाता है तो मैं मांग करूंगा, इस सदन में जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, कि श्री मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज देश में करोड़ों लोग बेकार हैं। एक ओर यह बेकार लोग हैं और दूसरी ओर लाखों लोग ऐयाशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जाएगा और शास्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक यह सरकार कोई काम नहीं कर सकेगी। जैसे ही यह विधेयक पास हो जाएगा, सरकार को चारों ओर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आय और खर्च का सम्बन्ध क्या हो, कृषि की नीति क्या हो, भूमि सुधार किस प्रकार से लागू किए जायें, सरकार की औद्योगिक नीति क्या हो—इन तमाम चीजों पर सोचने

[श्री कल्याण जैन]

के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा।

सभापति जी, इन्दौर की सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर आय का अनुपात 1:20 रहेगा। जब एक आदमी की कम से कम आय 20 पैसे और 40 पैसे है. तो ज्यादा से ज्यादा आय कितनी होनी चाहिये? यदि आप 20 गुना भी लें तो चार रुपये रोज से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इतना नहीं तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपये महीने से ज्यादा खर्च करने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपये महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जानी चाहिये। आज हिन्दुस्तान में पांच लाख लोग ऐसे हैं. जिन पर प्रतिमाह 5 से 10 हजार रुपये महीने तक खर्च होता है—यह हमारे देश को शोभा नहीं देता है। इस लिये जरूरी है कि जनता पार्टी इस पर रोक लगाये. अगर जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इस का मतलब है कि जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया और जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते मुझे दुख होता है कि 15 महीनों के अन्दर हम ने बोली दी है. लेकिन रोटी के मामले में जनता पार्टी ने कोई भी क्रान्तिकारी कदम या क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू नहीं किया है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं—यह एक राष्ट्रीय समस्या है. राष्ट्र निर्माण करने के लिये जनता पार्टी की सरकार को एक संकल्प लेना चाहिये और इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिये। इस विधेयक के स्वीकार हो जाने से इस देश में ऐश का जीवन व्यतीत नहीं हो सकेगा। जिन की इन्कम ज्यादा है. उन की सम्पत्ति का प्रकाशन किया जा सकता है. जिन के पास 5 लाख या उस से ज्यादा की सम्पत्ति है उस का सार्वजनिक प्रकाशन हो सकता है, जिन के पास उस से भी ज्यादा सम्पत्ति है. यदि उस को जब्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस में जो इल्लीगल है. उस को तो जब्त कर सकते हैं। इस तरह से अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे कानून मंत्री जी मुझे मालूम नहीं इस बात को समझते हैं यह नहीं समझते हैं. यदि न समझते हों तो मैं उन को समझाने की कोशिश कर सकता हूं। जिन के पास पांच लाख से ज्यादा की सम्पत्ति है उन का सार्वजनिक प्रकाशन हो और उस प्रकाशन के बाद जिन के पास उस अनुपात से ज्यादा पाई जाय उस की जांच की जाये और जांच के बाद ज्यादा सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाय इसी तरह से जो 10 हजार रुपये साल से ज्यादा इन्कम टैक्स देते हैं उन की सम्पत्ति का भी प्रकाशन होना चाहिये और साथ साथ जांच होनी चाहिये। आज हिन्दुस्तान के अन्दर दस करोड़ लोग बेकार हैं. जिन के लिये बेकारी भत्ते की बात की जा रही है। मैं मानता हूं कि आप 100 रु० या 200 रु० महीना उन को नहीं दे सकते हैं. लेकिन इस सिद्धान्त को स्वीकार तो कर सकते हैं कि हम रोजगार के मौलिक अधिकार को मानते हैं। यदि एक दम उन को नहीं दिया जा सकता है तो बेरोजगारी भत्ते के नाम से 100 रुपया या 200 रुपया साल में उन को दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस पर 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक आप को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस का एक बहुत बड़ा परिणाम यह निकलेगा कि जिस दिन से आप इस सिद्धान्त को मान लेंगे उसी दिन से सरकार के सोचने की विचार धारा में एक दम परिवर्तन आ जायगा. आप सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि हम किस तरह से ऐसे उद्योग धन्धे लगायें जिस में अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके और जो रुपया आप को खर्च की सीमा निश्चित करने के बाद मिलेगा. उस से बेरोजगारों को काम मिलेगा।

मुझे दुख हुआ जब हमारे प्रधान मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने बेरोजगारी भत्ते की मांग

को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं बेरोजगारों को डोल नहीं बांटूंगा. बरोजगारों को भिखमंगे के समान भीख नहीं बांटूंगा. इस से ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। सभापति जी. जिस जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम काम देंगे और यदि काम न दे सके. तो बेकारी भत्ता देंगे. उस के प्रधान मंत्री इस तरह से बोलते हैं—यह ठीक बात नहीं है। इस लिये मैं इस सदन के माध्यम से अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं इस का विकल्प देने को तैयार हूं—यदि सरकार इस सिद्धान्त को मानने को तैयार हो जाए तब तो इस विधेयक की जो भावना है वह पूरी हो सकती है. लेकिन यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम संसद सदस्यों को श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व से इस्तीफ़ा देने की मांग करनी चाहिये और अटल बिहारी वाजपेयी या जार्ज फरनान्डीज या शान्ति भूषण जी या किसी दूसरे को प्रधान मंत्री बनाना चाहिये।. बिना नेतृत्व में परिवर्तन किये काम नहीं चलेगा। श्री मोरारजी देसाई का हम ने तीस साल में काम देखा है. वे कन्ज़र्वेटिव हैं. यदि हम इस देश में आर्थिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो अब तक हम ने इस देश के अन्दर बोली दी है. रोटी नहीं दे सकेंगे। जिस मुल्क में रोटी नहीं मिलती है. तो रोटी के अभाव में वह गोली भी छीन ली जाती है. वहां ताना-शाही प्रवृति पैदा हो जाती है। इस लिये आज जनता पार्टी का दूसरा विकल्प नहीं है हमें इस पार्टी के अन्दर ही इस को ढूंढना चाहिये। यदि यह नेतृत्व इस काम को नहीं कर सकता है. तो इस नेतृत्व को खत्म कर के दूसरे नेतृत्व को आगे लाना चाहिये। ताकि हम यह महसूस करें कि वास्तव में हिन्दुस्तान की जनता पार्टी के शासन ने हिन्दुस्तान की जनता को रोटी और बोली दोनों दी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यमुना प्रशाद शास्त्री जी ने जो विधेयक रखा है. उस का तहेदिल से समर्थन करता हूं और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि आज जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं वे खत्म हों और प्राथमिक शिक्षा सब के लिए एक-समान हो और मोहल्ला स्कूल हों. जैसा मावलंकर जी ने भी कहा और हमारे लोहिया जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि राष्ट्रपति जी का जो बच्चा हो और हरिजन का जो बच्चा हो. वे एक ही स्कूल के अन्दर शिक्षा लेने जाएं। मुझे दुःख है कि हमारे डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हम पब्लिक स्कूल समाप्त नहीं कर सकते। हमारी मंत्राणी महोदया. श्रीमती बड़कटकी जी. यहां पर बैठी हुई हैं। मैं उन से कहूंगा कि आप इन स्कूलों में शिक्षा देने की इजाजत मत दें और अगर शिक्षा देने की इजाजत देती भी हैं तो कम से कम आप यह तो कर ही सकती हैं कि उन को मान्यता न दें इन को परीक्षा लेने की इजाजत न दें। जिस दिन आप यह कर देंगी मंत्रीणी जी कि जो स्कूल हमारे नियमों के विपरीत हैं उनको हम मान्यता नहीं देंगे. उन को परीक्षा कंडक्ट करने की इजाजत नहीं देंगे उस दिन यह समस्या हल हो जाएगी। आप प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करें। शायद मंत्राणी जी समझ नहीं रही है मैं फिर समझा दूं मंत्री महोदय इस बात को नहीं समझ सकते हैं और संविधान का बहाना लगा कर इन पब्लिक स्कूलों को खत्म नहीं करते हैं—कि इन स्कूलों को परीक्षा लेने की इजाजत मत दीजिए। जो स्कूल 25 रुपये और 50 रुपया महीना फ़ीस लेते हैं. उन को आप परीक्षा लेने की सुविधा न दीजिए और उन की मान्यता खत्म कर दीजिए. यही मेरा उन से कहना है। प्राथमिक शिक्षा को आप अनिवार्य करें, पब्लिक स्कूलों को खत्म करें और बिना रोजगार वाले लोगों को कुछ सुविधा दें। यही मेरा निवेदन है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः शास्त्री जी के विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : Mr. Chairman, this Bill is of such an important nature, as is evidenced from the fact, that so many of my colleagues on the right, left and centre have spoken so that there is very little left for me to say, and I do not wish to repeat any of the points which my colleagues have made so effectively and forcefully. But still I would like to focus the attention of the House on certain aspects of this problem. The alarming feature of our body politic in recent years has been the mounting unemployment in our country. I do not want to tire the House with facts and figures in detail, but it is sufficient for me to quote that during the one year., period, from January 1977 to January 1978, there was an increase of about 12 percent in the figures given by the Employment Exchanges, that is, the people without jobs, workless people in search of jobs. Those figures have been registered in the Employment Exchanges only. Outside, there may be many more millions, we do not know. In one year, there was an increase of 12 percent. The figure of January 1978 was about 11 millions. It is well over one crore, and behind every jobless person, every job seeker, we can visualise at least four or five persons. It means that there are at least about 50 million people. It means that there are about fifty million people who are hungry, without food, without jobs, without clothes, may be without shelter. There is a Shloka in Sanskrit :

बुभुक्षित : किम न करोति पापम्

क्षीणा नरा निष्करूणाभवन्ति ।

It means : what sin or crime will not a hungry man commit? Hungry people, impoverished people, poor people, jobless people become ruthless.

MR. CHAIRMAN : You can continue next time.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 24, 1968/Sravana 2, 1900 (Saka)

GM ND—L—1642L.S.4-9-78.